राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 3410–पीबीआर/12 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–4–2014	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण 2 आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	

दस रुपये TEN RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर

प्रकरण कमांक पी0बी0आर/2012 पुनरावलोकन – 3410-PBR/12

श्री ... द्वारा आज दि. 5-10-12 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मैसर्स ओएसिस डिस्टिलरी प्रायवेट लिमिटेड

बौराली, जिला– धार म0प्र0—— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन – अनावेदक

श्री देवेन्द्र सिंघई, अध्यक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर द्वारा अपील प्र0क0 1392 पी0बी0आर/2009 में पारित आदेश दिनांक 04–05–2012 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 62(2)(सी) VIIIA. सहपठित धारा-51 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरावलोकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है:–

1– यह कि,माननीय न्यायालय के आदेश में ऐसी प्रत्यक्ष त्रुटि हुई है जो कि सम्पूर्ण आदेश के पुनरावलोकन एवं उक्त आदेश को निरस्त किये जाने का कारण निर्मित करती है.

2– यह कि,माननीय न्यायालय ने विवादित आदेश में आवेदक द्वारा अपील ज्ञापन में आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये आदेश को निरस्त करने हेतु जो कारण दर्शाये थें. उन पर विवादित आदेश में न तो कोई विचार किया गया है और न ही कोई आदेश पारित किया गया है. इस कारण भी विवादित आदेश पुनरावलोकन योग्य है.

3– यह कि,विवादित आदेश में म0प्र0 आसवनी अधिनियम 1995 के नियम 8 2 का उल्लेख किया गया है परन्तु यह विचार नही किया गया कि प्रकरण के अभिलेख से यह प्रमाणित है कि आवेदक द्वारा लायसेंस अवधि के चालीस सेटस में से मात्र चार सेटस में अपेक्षित उत्पादन से कम उत्पादन हुआ था. छत्तीस सेटस में अपेक्षित से अधिक उत्पादन करना यह प्रमाणित करता है कि आवेदक द्वारा पूरी सावधानी से उत्पादन किया गया एवं कोई कारण नही था कि चार सेटस में पूरी सावधानी नही बरती गई हो.

4-- यह कि,लायसेंस अवधि में आवेदक ने जब छत्तीस सेटस में अधिक उत्पादन किया उसे देखते हूए आवेदक को यह स्पष्टीकरण मान्य किये जाने योग्य था कि जिन चार

शाखा प्रभारी (रा.नं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर